भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 668

दिनांक 25/07/2025

आईसीएआर की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कानून

668. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की दक्षता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कानून लाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने ओंटारियो (कनाडा), तंजानिया, मॉरीशस और सिएरा लियोन के कानूनों की जांच के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन का संज्ञान लिया है, जो कृषि अनुसंधान गतिविधियों की प्रभावशीलता, दक्षता तथा जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) क्या सरकार कृषि अनुसंधान गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल करने और आईसीएआर द्वारा प्रत्येक अनुसंधान परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा वैज्ञानिक ऑडिट कराने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के लिए इस प्रकार के कानून का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): जी हां। सरकार ने अभ्यावेदन का संज्ञान लिया है। उभरती चुनौतियों का सामना करने तथा भारतीय कृषि को अधिक अनुकूल, लाभप्रद तथा टिकाऊ बनाने के लिए नीति आयोग ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक समग्र विजन को निरूपित किया है। तदनुसार, इस राष्ट्रीय विजन के अनुरूप कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अपनी अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार प्रणाली को नीतिगत रूप से प्रासंगिक बनाया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगभग एक शताब्दी पुराना संस्थान है जो विश्व में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का एक विशालतम नेटवर्क है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भाकृअनुप ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को कृषि कौमोडिटी के एक शुद्ध निर्यातक की स्थिति में लाने में मुख्य रूप से योगदान दिया है।

(ग): भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAUs), केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAUs) तथा गैर-सरकारी संगठन (NGOs) शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS), निजी क्षेत्र के साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी विकास, स्थानांतरण और व्यवसायीकरण के संबंध में सहयोगी अनुसंधान और विकास कार्यों में संलग्न है।

सरकार द्वारा समय-समय पर भाकृअनुप की स्कीमों के अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए तथा अनुसंधान दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश हेतु बाहरी मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में इस प्रकार का मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में किया गया जिसमें भाकृअनुप की वर्ष 2017-2020 की अवधि में कार्यान्वित योजनाओं को शामिल किया गया है।

******